

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या

	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र :-	उ० प्र० राज्य
(ii)	जिला :-	बाराबंकी
(iii)	वन प्रभाग:-	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1.0078 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति:-	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना, (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर. एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए।	वृक्ष बाधक नहीं है।
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.2
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास / झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/ रकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्सम्बन्धित ब्योरा दें?	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।		न्यूनतम है।
क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।		नहीं
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा।		
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिस्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7, 8, व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)		संलग्न है
विभाग/ जिला प्रोफाइल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3891.50 वर्ग किमी० अथवा 389150.00 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	55.05925 वर्ग किमी० अथवा 5505.925 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	58 मामले, क्षेत्रफल 282.2492284 हे०
(iv)	1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	397.4023168 हे०
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	रिक्त
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	367.914734 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश		जनहित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 13/11/2024

स्थान: बाराबंकी

प्रभागीय निदेशक
सांवा वन प्रभाग
हस्ताक्षर/ मोहर
बाराबंकी